न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या.33/2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

अमर सिंह कूनर पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

..... वादी

बनाम

1. श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. जय सिंह कूनर पुत्र श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा — वादी
अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर — प्रतिवादी 1 व 2
पैरोकार राज — (प्रति.4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 04.04.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वाके चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/9 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071 –2074) का मुरब्बा नम्बर 37, 39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 11/10 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071 – 2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 339 / 1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासतन प्राप्त हुई है तथा पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा में आती है । इस कारण उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म से हक निहित है । प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का काफी समय पूर्व घरू बंटवारा किया हुआ है तथा घरू बंटवारा में वादी की माता द्वारा वादी अमर सिंह कूनर व प्रतिवादी संख्या 2 जय सिंह कूनर को चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10 / 9 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071 – 2074) का मुरब्बा नम्बर 37,

Scanned with OKEN Scanner

39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 4.630 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 11/10 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 339/1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है । उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी एवमं प्रतिवादी संख्या 2 अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा मौका पर काश्त कर रहे हैं तथा मौका पर वादी एवमं प्रतिवादी संख्या 2 की फसले खड़ी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को यह कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, घरू बंटवारानुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देंगे। इसी विश्वास पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 पढ़े लिखे व अग्रणी काश्तकारान हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहते हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सभी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। कुछ दिन पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करती रही तथा दिनांक 30.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। यह कि उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादीगण स्वीकार किया कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

1. यह कि चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/9(मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 37, 39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 4.630 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 11/10 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 339/1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी अमर सिंह कूनर एवं प्रतिवादी संख्या 2 जय सिंह कूनर पुत्रगण श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज करवाई जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में सहमति जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 2 के तथ्य स्वीकार हैं। इस मद में भूमि का विवरण जमाबन्दी के अनुसार सही अंकित है ।यह सही है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से घरू बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारा के अनुसार चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/9 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 37, 39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 4.630 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 11/10 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 339/1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी अमर सिंह कूनर एवं प्रतिवादी संख्या 2 जय सिंह कूनर पुत्रगण श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को दी हुई है । जिस पर वह काबिज हैं। प्रतिवादिया संख्या जरूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण शहर आने से इन्कार किया था। अब मौजूज व्यक्तियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण का राजीना करवा दिया है। अतः यदि वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीया संख्या 1 को कोई एतराज नहीं है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 13 जैड के खाता संख्या 10/9 का मुरब्बा नम्बर 37, 39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 है0 कृषि भूमि में से 4.630 है0 कृषि भूमि व चक 13 जैड का खाता संख्या 11/10(मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 339/1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी अमर सिंह कूनर एवं प्रतिवादी संख्या 2 जय सिंह कूनर पुत्रगण श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर, अलग खाता कायम किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2071 –2074 ग्राम 13 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 10/9, जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम 13 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 11/10 की प्रति पेश की गई। दस्तबरदारी इंतकाल जमाबंदी चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड, भू.अ.नि. रामनगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 55 की प्रति पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र तादीदी 50 रूपये बाबत वाद में वर्णित पक्षकारों के अतिरिक्त अन्य पक्षकार नहीं होने, अन्य न्यायालय में किसी प्रकार का

कोई वाद विवाद अथवा वादग्रस्त आराजी पर स्थगन नहीं होने, कब्जा कशत होने, बैंक इत्यादि का ऋण नहीं होने अथवा ऋण होने की स्थिति में जमा किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.1998 अनवान राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह पुत्र मोडसिंह धारा 88 आर.टी.ए. की प्रति पेश की गई।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससीद्ध पेज 807 व 178

आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससीद्ध 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 10/9 (मुताबिक जमाबन्दी सम्ब्त 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 37, 39 व 45 की कुल 13.080 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 797/1635 हिस्सा यानि 6.376 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 4.630 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 11/10 (मुताबिक जमाबन्दी सम्ब्त 2071–2074) का मुरब्बा नम्बर 46 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 339/1265 हिस्सा यानि 1.695 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार कुल 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी अमर सिंह कूनर एवं प्रतिवादी संख्या 2 जय सिंह कूनर पुत्रगण श्री हरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज की जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर यदि ऋण भार हो तो भूमि पर ऋण की स्थिति शून्य होने पर उक्तानुसार भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

Scanned with OKEN Scanner

किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04.04.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner